

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-3/जॉच)विभाग

८.१(5)(30)कार्मिक/क-3/जॉच/2004

जयपुर, दिनांक 18-11-06

परिपत्र

राज्य सरकार के राजसेवक सेवा में रहते हुये अनेक प्रकार के उच्च अध्ययन/तकनीकी प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम इत्यादि में-अध्ययन करते हैं और इस संदर्भ में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम, 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत वांछित शर्तों सहित अध्ययन की अनुमति प्रदान की जाती है।


यह ध्यान में आया है कि इस प्रकार के अध्ययनों की स्वीकृति प्रसारित करते समय संबंधित प्राधिकारीगण सावधानीपूर्वक शर्तों का उल्लेख नहीं करते हैं। अनेक पाठ्यक्रम इस प्रकार के होते हैं जिनमें अभ्यर्थी की उपस्थितियां पाठ्यक्रम/अध्ययन में न्यूनतम तौर पर आवश्यक होती है।

अतः इस प्रकार के अध्ययन की स्वीकृति प्रसारित करते समय निम्न शर्तें भी आवश्यक रूप से स्वीकृति में सम्मिलित की जाए:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।


10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

अतः सभी संबंधितों को ध्यादिष्ट किया जाता है कि वे अपने अधीन सेवारत अधिकारी/कर्मचारीगण, जिन्हें अध्ययन की अनुमति दी गई है, उनकी समीक्षा करें एवं उनके शिक्षण संस्थानों से उनके अध्ययन और संस्थान में उनकी उपस्थिति इत्यादि की भी जानकारी प्राप्त करें। यदि अधिकारी/कर्मचारीगण शैक्षणिक संस्थानों के अनिवार्य वांछित शर्तों के साथ-साथ अध्ययन की स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनके द्वारा धारित की गई डिप्री/प्रमाण-पत्र को अमिलेख पर नहीं लिया जाय और अपचारी राजसेवक के विरुद्ध वृहद-शास्ती हेतु अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।


(मुकेश शर्मा) वि.
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
- 2 समस्त सम्भागीय आयुक्त।
- 3 समस्त विभागाध्यक्ष (मय जिला क्लरक)
- 4 उप सचिवगण, कार्मिक (क-3/जांच) विभाग।
- 5 सहायक विधि परामर्शी/मुख्य विधि सहायक, कार्मिक (क-3/जांच) विभाग।
- 6 प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।



उप विधि परामर्शी

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

No. AVVNL/CAO/AAO (F & R)/ F.1(25)/D.174 Dated-19-4-2007

1. The Chief Engineer (O&M/Comml.), AVVNL, Ajmer.
2. The Zonal Chief Engineer (UZ)/(JZ), AVVNL, Udaipur/Jhunjhunu.
3. The Dy. Chief Engineer (RPFC), AVVNL, Heerapura, Jaipur.
4. The F.A. & Controller of Accounts, AVVNL, Ajmer.
5. The Secretary (Admn.), AVVNL, Ajmer.
6. The Superintending Engineer (Civil/Elec/MDM/O&M/M&P/TW), AVVNL, Ajmer/ Bhilwara / Nagaur/ Udaipur / Chittorgarh/ Banswara / Rajsamand/ Jhunjhunu/ Sikar.
7. The Company Secretary, AVVNL, Ajmer.
8. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), AVVNL, Ajmer
9. The TA to CMD & DCOS, AVVNL, Ajmer.
10. The Dy. Director of Personnel, (AZ/UZ/JJZ), AVVNL, Ajmer/ Udaipur / Jhunjhunu.
11. Sr. Accounts Officer (), AVVNL, _____.
12. The Accounts Officer (O&M / IA / EA & Cash / BUDGET / Acctts.), AVVNL, Ajmer/ Bhilwara / Nagaur/ Udaipur / Chittorgarh/ Banswara / Rajsamand/ Jhunjhunu/ Sikar.
13. The Personnel Officer (Corporate Off./O&M), AVVNL, _____.
14. The Public Relation Officer, AVVNL, Ajmer.
15. The Asstt. Accounts Officer (CPC), AVVNL, Ajmer.
16. The P.A. to Chairman & Managing Director, AVVNL, Ajmer/Jaipur.
17. Office order file / Master file.

By order



(S.M. Mathur)

CHIEF ACCOUNTS OFFICER
AVVNL, AJMER